


## कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

दिनांक 15.06.2015 को निकाली गयी निविदाओं में आंशिक संशोधन शर्तों का विवरण।

1. जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की तिथि तक वैध हो।
2. आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र /पैन न0/टैन-टिन न0 सहित।
3. सी0ए0 द्वारा तीन वर्ष का आयकर वैलेन्स 'शीट प्रमाणित (फर्म का)।
4. बिक्री कर प्रमाण पत्र।
5. औषधि अनुज्ञापन प्रमाण पत्र (केवल औषधियों हेतु)
6. फर्म का डी0एल0 लाईसैन्स या फर्म द्वारा अधिकृता प्रमाण पत्र (केवल औषधियों हेतु)
7. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाले सामन की सूची स्पष्ट रूप से जिस हेतु पंजीकरण किया जा रहा है।
8. रू0 100.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इकरानाम जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के पक्ष में हो।
9. निविदा पत्र में अंकित सामग्री आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0/बी0एस0आई0 प्रमाण पत्र कम्पनियों की होनी आवश्यक है।
10. जिस कम्पनी की सामग्री की आपूर्ति की जायेगी उस कम्पनी का सी0ए0 द्वारा जारी बैलेन्स सीट जो पचास लाख वार्षिक से कम न हो, उत्तराखण्ड स्थित कम्पनियों को पचास लाख की सीमा से मुक्त रखा जायेगा, केवल सी0ए0द्वारा जारी बैलेन्स सीट संलग्न करें।
11. आपूर्ति कर्ता उत्पादित फर्म का आई0एस0ओ0-9002 अथवा आई0एस0आई/बी0एस0आई प्रमाण पत्र जिस हेतु आवश्यक हो प्रस्तुत करेगा।
12. फर्नाचर/साज-सज्जा/चिकित्स उपकरण /वस्त्र बिस्तर कि निविदा हेतु 50 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है।
13. कन्टीजैन्सी /लेखन सामग्री/विद्युत सामग्री कि निविदा हेतु 25 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है।
14. सर्जिकल एवं एक्स-रे कि निविदा हेतु 25 लाख का टर्न ओवर एवं एक्स रे फिल्में कोनिका, एग्फा, केयरस्ट्रीम तीनों की (डिजिटल एक्स-रे फिल्में एवं अन्य साधारण एक्स-रे फिल्में)दरो का तुलनात्मक दरें देनी होगी सामग्री आई0एस0ओ0 प्रमाणित होना भी आवश्यक है।
15. पैथोलाजी एवं रसायन की निविदा हेतु 25 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है।
16. उत्तराखण्ड में लघु उद्योग /कुटीर उद्योग में उत्पादित फर्म का पंजीकरण व सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मैनुफैक्चर्स फर्म का अधिकृता प्रमाण पत्र।
17. किसी भी सरकारी /गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र 10.00 के स्टाम्प पर।


  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
देहरादून।

संख्या सी0एमओ0/फर्म पंजीकरण/प्रो0रू0/2015-16

तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के अगले अंक में 10X10 से0मी0 साईज में छापकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करें।

1. सम्पादक, अमर उजाला, देहरादून।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण, देहरादून।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
देहरादून।